विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 721 दिनांक : 10-11-17

प्रति,

प्राचार्य,
इम्पिरियल कॉलेज ऑफ फण्डामेंटल स्टडीज,
विजयगंज मण्डी, जिला–देवास।

विषय :– सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में उत्तरवर्ती कक्षाओं का सम्बद्धता प्रकरण।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / निरंक,दिनांक 11.10.2017 एवं 17.10.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि,आपके द्वारा सत्र. 2016–17 से बी.एससी.–द्वितीय वर्ष (भौतिकी,रसायन, गणित,एवं आ.पा.) तथा दो अतिरिक्त विषय (वनस्पति शास्त्र माईक्रोबॉयोलॉजी), बी.ए.–द्वितीय वर्ष (राजनीति,अर्थशास्त्र,,समाजशास्त्र, एवं आ.पा. एवं कम्प्यूटर एप्लिकेशन(अति.विषय) तथा सत्र 2017–18 में उक्त विषय का तृतीय वर्ष हेतु आवेदन किया है। उक्त पाठ्यक्रमों की द्वितीय वर्ष का सम्बद्धता शुल्क,बी.एससी.–द्वितीय वर्ष (भौतिक,गणित,रसायन,आ.पा.) = 1,65,000/- दो अतिरिक्त विषय(माईक्रोबॉयोलॉजी एवं वनस्पति),44000 x 2 = 88,000/- बी.ए. –द्वितीय वर्ष (राजनीति विज्ञान,अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,एवं आ.पा.) = 1,65,000/- एवं अतिरिक्त विषय(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन) = 44,000/- इस प्रकार कुल द्वितीय वर्ष का कुल सम्बद्धता शुल्क रू. 4,62,000 / –(अक्षरी रूपये चार लॉख बॉसठ हजार मात्र) तथा तृतीय वर्ष का भी सम्बद्धता शुल्क रू. 4,62,000 / – होता है। किन्तु संस्था द्वारा द्वितीय वर्ष का सम्बद्धता शुल्क रू. 3,00,000 / – विश्वविद्यालय में रसीद क्रमांक / 3439,3440,दिनांक 26.07.2016 द्वारा जमा किये गय है एवं तृतीय वर्ष हेतु रू. 1,50,000 / – रसीद क्रमांक 16640,दिनांक 31.07.2017 द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये है।

यह भी उल्लेख है कि,महाविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/ICFS/2016, Date 26.07.2016 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले महाविद्यालय से 50% सम्बद्धता शुल्क लिये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु इस संबंध में यह सूचित है कि, अन्य महाविद्यालयों द्वारा भी 50% सम्बद्धता शुल्क लिये जाने के प्रकरण को भी, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के आदेश के प्रकाश में अभ्यावेदन मान्य किये गये एवं पूर्ण शुल्क जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, पूर्ण निर्धारित (100%) सम्बद्धता शुल्क रू. 4,74,000 / –(अक्षरी रूपये चार लॉख चौहत्तर हजार मात्र) नकद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करावे ताकि सम्बद्धता प्रकरण निराकृत किया जा सके, अन्यथा विपरित कार्यवाही हेतु महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 722 दिनांक : 10-11-17

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
02. अध्यक्ष / सचिव, संतमुरली गोपाल शिक्षण समिति, माकडोन रोड, तराना, जिला–उज्जैन।
03. उप / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
06. कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
    की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
07. गार्ड फाईल, हेतु।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

D:Ph.D.S-1/696